संख्या–2065 / सैंतीस–2–2021–5(53) / 18टीसी–2

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 23 अक्टूबर, 2021

विषय–प्रदेश में दिनांक 25.10.2021 से 30.10.2021 तक **"गौवंश संरक्षण एवं सुरक्षा सप्ताह"** का आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि निराश्रित / बेसहारा गौवंश का संरक्षण एवं भरण पोषण प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में अस्थायी गौवंश स्थलों की स्थापना व संचालन की नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या–4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018 दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया है। 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में कुल 1184000 निराश्रित / बेसहारा गौवंश है, जिनमें से सम्प्रति कुल 795356 गौवंश को विभिन्न गौ आश्रय केन्द्रों में संरक्षित किया गया है।

2– प्रदेश में दिनांक 25.10.2021 से 30.10.2021 तक **"गौवंश संरक्षण एवं सुरक्षा सप्ताह"** का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में विशेष अभियान चला कर निराश्रित / बेसहारा गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में निराश्रित गौवंश सड़कों / मार्गो, सार्वजनिक स्थानों या खेतों में विचरण करते हुए न पाये जायें। इसके संरक्षण हेतु अवशेष गौवंशों को प्रदेश में स्थापित / संचालित अस्थायी गौ आश्रय स्थलों, वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों एवं कान्हा गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाय। स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन किया जाए जिसमें जिले में कार्यरत् विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए कुछ टीमें गौ–आश्रय स्थलों के सत्यापन तथा कुछ टीमें निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित करने में लगाई जाय।

(2) समस्त अस्थायी गौ आश्रय स्थलों, वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों एवं कान्हा गौ आश्रय स्थलों का शतप्रतिशत सत्यापन कराया जाय।

(3) आश्रय स्थलों पर केयर–टेकर / चौकीदार रात्रि में अवश्य निवास करें।

(4) आश्रय स्थलों में आवश्यक भूसा, पीने का स्वच्छ पानी, हरे चारे, साफ–सफाई की समुचित व्यवस्था हो और यह भी सुनिश्चित किया जाय कि बाउण्ड्रीवाल टूटी न हो और पशु शेड में कीचड व जलभराव न हो। इसके लिए पराली का उपयोग किया जा सकता है।

(5) प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर भूमि का चिन्हांकन कर अस्थायी गौ आश्रय स्थलों की स्थापना की जानी है। यह भी विचार कर लें कि आश्रय स्थलों की स्थापना में यथास्थिति समय लगने के दृष्टिगत निराश्रित/बेसहारा गौवंशों को किसी अन्य सुरक्षित स्थल पर संरक्षित किया जा सकता है, जिसकी फेनसिंग या बाउण्ड्रीवाल की उपलब्धता हो।

(6) प्रत्येक गौ आश्रय स्थल में स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार कैमरे लगाने पर भी विचार कर लें। इनमें से एक कैमरा प्रवेश द्वार पर एवं दूसरा कैमरा ऐसी लोकेशन पर लगाया जाय जिससे काउशेड का अधिकतम भाग आच्छादित हो सके।

(7) गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित गौवंश का बधियाकरण एवं टैगिंग किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा सत्यापन आख्या में इस विषय से संबंधित सूचना भी भेजी जाय।

उपरोक्तानुसार संचालित विशेष अभियान की प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर दिनांक 27.10.2021 एवं दिनांक 30.10.2021 को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराई जाय।
संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

23.10.2021

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्र0सं0–2065/ सैंतीस–2–2021– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

कार्यालय निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या **988**/सा0–2/नोडल भ्रमण/2020–21 दिनॉकः– **23.10.2021**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषितः–

1– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश।
2– समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

23/X/2021

(डा0 एस0 के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,

5(53)18TC-2 SY

प्रारूप

क0	जनपद का नाम	
1	गौ–आश्रय स्थल का नाम व स्थान	
2	सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम/पदनाम	
3	संरक्षित गौवंश की संख्या	
4	अभियान अवधि में संरक्षित निराश्रित गौवंशों की संख्या।	
5	अभियान अवधि में स्थापित नये गौ आश्रय स्थलों की संख्या।	
6	शेड की उपलब्धता।	
7	पीने हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था–चरही संख्या	
8	भूसे की उपलब्धता कु0 में।	
9	हरे चारे की व्यवस्था हेतु क्षेत्र एकड़ में।	
10	हरे चारे की उपलब्धता प्रतिदिन कु0 में।	
11	दाना/चोकर/संकेन्द्रित आहार की उपलब्धता कुन्टल में।	
12	मिनरल मिक्स्चर की उपलब्धता कि0ग्रा0 में।	
13	गौ आश्रय स्थलों में सफाई का स्तर कैसा है	
14	गौ आश्रय स्थलों में कीचड/जलभराव की स्थिति	
15	केयरटेकर की संख्या	
16	रात्रि में निवास करने वाले चौकीदार/चौकीदारों की संख्या	
17	आश्रय स्थलों पर बधियाकरण किये गये गौवंशों की संख्या।	
18	गौ आश्रय स्थलों पर टैग किये गये गौवंशों की संख्या।	

❖ सत्यापन आख्या निम्नलिखित ई–मेल पर भेजी जा सकती है।

1-Directahd@yahoo.com निदेशक, (प्र0एवं वि0), पशुपालन विभाग।

2-Dirdcf.ah-up@gov.in निदेशक,रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,पशुपालन विभाग।

❖ किसी प्रकार की पृच्छा के लिये निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर संपर्क किया जा सकता है।

1– 05222–2740238

2– 0522–2740482